न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 79/2017/223 आर टी ए

1. हरज्ञानसिंह पुत्र डूंगरराम जाति जाट निवासी चक 2 एनडब्ल्यूएम तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
2. गीतादेवी पुत्री डूंगरराम पत्नि काशीराम जाति जाट निवासी रामपुरा मटोरिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

––अपीलांटस

बनाम

1. डूंगरराम पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी गन्धेली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ (फौत)।
2. शिशपाल पुत्र गोविन्दराम जाति जाट निवासी गन्धेली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
3. राजपाल पुत्र गोविन्दराम जाति जाट निवासी गन्धेली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
4. राजेश पुत्र गोविन्दराम जाति जाट निवासी गन्धेली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
5. भगवती पुत्री गोविन्दराम जाति जाट निवासी गन्धेली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
6. बलकीदेवी पुत्री गोविन्दराम जाति जाट निवासी गन्धेली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
7. सुरजपाल पुत्र रामसिंह जाति जाट निवासी 32 आरडब्ल्यूडी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
8. जगदीश पुत्र रामसिंह जाति जाट निवासी चक 32 आरडब्ल्यूडी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
9. औमप्रकाश पुत्र डूंगरराम जाति जाट निवासी गन्धेली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
10. महावीर पुत्र डूंगरराम जाति जाट निवासी गन्धेली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
11. लाल चन्द पुत्र डूंगरराम जाति जाट निवासी गन्धेली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
12. इमरती देवी पत्नि ओमप्रकाश जाति जाट निवासी निरवाल तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
13. केसरदेवी पत्नि गोविन्दराम जाति जाट निवासी गन्धेली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
14. सावित्री पत्नि रामसिंह जाति जाट निवासी 32 आरडब्ल्यूडी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

15. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

—— रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 15.03.17 न्यायालय सहायक कलैक्टर रावतसर प्रकरण संख्या 136/2012 अनवानी हरज्ञानसिंह आदि बनाम डूंगरराम आदि

उपस्थित :–

श्री विजय कौशिक अधिवक्ता अपीलांटस

श्री कानाराम अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 7 ता 11, 14

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 15

निर्णय दिनांकः–27.07.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि अपीलांटस ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 53 आरटीए पेश किया। जिसमे प्रतिवादी सं. 10 व 11/रेस्पो0 आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त भूमि चक 2 एनडब्ल्यूएम की 5.694 है0 भूमि की रजिस्टर्ड वसीयत मृतक डूंगरराम के द्वारा प्रार्थीगण के पक्ष मे दिनांक 26.07.2013 को की गई है जिसमे वादीगण का कोई हक व हिस्सा नही है। वादीगण को कोई वादकारण हासिल नही है। वादकरण के अभाव मे वाद खारिज किये जाने का अनुतोष चाहा गया। जिसका प्रति उत्तर वादीगण के द्वारा दिया जाकर प्रश्नगत भूमि पैतृक कृषि भूमि होने से वादीगण का जन्म से अधिकार होने से एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा मे वसीयत का जिक्र ही नही होने से आवेदन पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी प्रतिवादी खारिज किये जाने का कथन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय के द्वारा प्रश्नगत भूमि प्रार्थी को जरिये वसीयत प्राप्त होने पर वादी का कोई हक हिस्सा नही होना मानते हुए दावा वादीगण अपीलांटस खारिज किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्टस ने यह अपील पेश की है।

2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अभिलेख ये यह बखूबी सिद्व था कि प्रश्नगत भूमि प्रतिवादी सं. 1 को उनके पूर्वजो से प्राप्त हुई है। इस संबंध मे अभिलेख जमाबंदी सम्वत 2008 से 11 नकल सर्वे खसरा सम्वत 2016, नकल पर्चा खतौनी, वगैरा से यह कतई सिद्व था कि प्रश्नगत भूमि पैतृक सम्पति है एवं उसमे जन्म से ही अपीलांट का हिस्सा मुताबिक हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम निहित है एवं कब्जा भूमि पर हिस्सा अनुसार अपीलांट का चला आ रहा है। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी सं. 10 व 11 रेस्पो. ने आवेदन पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी मे मुख्य रूप से यह आधार लिया था कि चक 2 एनडब्ल्यूएन के प.न. 36/27, 36/19 की 5.694 है0 भूमि की वसीयत डूंगरराम ने

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

दिनांक 26.07.2013 को उनके हक हिस्सा मे निस्पादित कर दी है। इसलिये इस भूमि मे किसी प्रकार का हक हिस्सा घोषित करवाने के वादीगण अधिकारी नही है जबकि विचारण न्यायालय के समक्ष यह तथ्य बिल्कुल स्पष्ट था कि डूंगरराम की सम्पूर्ण भूमि पर माननीय विचारण न्यायालय द्वारा ही दिनांक 13.08.12 को स्थगन प्रसारित किया हुआ था जो दिनांक 26.07.2013 को भी प्रभावी था एवं इस स्थगन मे भूमि को मुन्तकिल ना किये जाने हेतु भी स्थगन था। ऐसी स्थिति मे दौराने वाद एवं स्थगन किसी पक्षकार द्वारा अपनी भूमि का हस्तान्तरण नही किया जा सकता था प्रश्नगत भूमि पैतृक सम्पति थी एवं इस प्रकार के दस्तावेज से औमप्रकाश व लालचन्द पिसरान डूंगरराम को किसी प्रकार के कोई अधिकार प्राप्त नही हो सकते थे। उक्त विधिक स्थिति पर गौर किये बिना ही दावा मे किसी दस्तावेज के निष्पादन के आधार पर विचारण न्यायालय ने जो अपीलाधीन निर्णय पारित कर वाद खारिज किया है। अपीलांट ने प्रश्नगत समस्त भूमि को विधि विरूद्ध तरीके से विक्रय करने के विरूद्ध भी एक वाद सिविल न्यायालय मे केसरदेवी सावित्री, इमरती के विरूद्ध प्रस्तुत किया हुआ है जिसमे भी न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश सं. 1 नोहर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 19.08.2016 से प्रश्नगत भूमि मे अपीलांट का वादग्रस्त भूमि हक हिस्सा स्वीकार कर रेस्पो0 सं. 12 ता 14 के विरूद्ध स्थगन प्रसारित किया है। इस कारण प्रश्नगत भूमि पैतृक भूमि होने एवं अपीलांट का हक हिस्सा मुताबिक हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम होने से मात्र रेस्पो0 सं. 10, 11 के कह देने मात्र से कि प्रश्नगत भूमि मे अपीलांट का कोई अधिकार नही है जबकि प्रश्नगत भूमि पर अन्तरण का स्थगन भी था। वैसे भी उक्त बिन्दू दावा मे विवाधक कायम होकर उस पर पूर्ण साक्ष्य आने के पश्चात ही तय होने लायक था।

4. विचारण न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 सं. 10, 11 ने आवेदन पत्र मे मुख्य वसीयत उनके पक्ष मे निष्पादित होने संबंधित आधार लिया था परन्तु उक्त आधार उनके जवाबदावा मे नही उठाया गया था ऐसी स्थिति मे जबकि प्रश्नगत भूमि पैतृक भूमि होना सिद्ध था एवं पूर्व मे भी डूंगरराम द्वारा कुल 18.244 है0 भूमि मे से 3.036 है0, 3.452, 3.542 है0 के बैयनामे विधि विरूद्ध निष्पादित करवाए गये जिसका विवाद सिविल न्यायालय मे विचाराधीन है, उसके पश्चात डूंगरराम द्वारा तथाकथित वसीयत से दौराने वाद व स्थगन भूमि का हस्तान्तरण करने मे सक्षम नही होते हुए भी रेस्पो0 सं. 10, 11 के कथनानुसार वसीयत उनके पक्ष मे निष्पादित किया जाना कहा गया है तो भी इस प्रकार की वसीयत प्रारम्भ शून्य दस्तावेज होने से कानूनन उसकी कोई अहमियत नही रहती है एवं उक्त सब बिन्दू जवाबदावा मे उठाऐ जाने पर उस पर विवाधक कायम होने के पश्चात ही तय किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री किया जाकर आवेदन पत्र रेस्पो. सं. 10, 11 आदेश 7 नियम 11 सीपीसी खारिज किया जावें।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए कथन किया कि विवादित भूमि मे से चक 2 एनडब्ल्यएम की 5.694 है0 भूमि की रजिस्टर्ड वसीयत मृतक डूंगरराम द्वारा रेस्पो0 सं. 10, 11 के पक्ष मे दिनांक 26.07.13 को की गई है। इसलिये उक्त भूमि अपीलांटस का कोई हक हिस नही है तथा ना ही अन्य रेस्पो0 का हक व हिस्सा है। उक्त भूमि मे कोई भी किसी भी प्रकार से हक हिस्सा अपीलांटस घोषणा करवाने के कानूनन अधिकारी है। उक्त वसीयत जिस भूमि बाबत करवाई गई है, वह डूंगरराम की खुद पैदाकरदा भूमि है। यह आराजी डूंगरराम को धारा 15एएए आरटीए के तहत किमतन आवंटित शुदा आराजी है। रेस्पो0 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी प्रस्तुत कर अपीलांटस/वादीगण को वादकारण हासिल नही होने के कारण वादकारण के अभाव मे दावा खारिज किये जाने का निवेदन किया गया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्मत निर्णय पारित करते हुए दावा वादीगण/अपीलांटस सही खारिज किया गया है। अपीलांटस ने बिना किसी आधार के यह अपील प्रस्तुत की है जो खारिज होने योग्य है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य होने के कारण अपील खारिज की जावें।

6. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय एवं इस न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने एवं बहस सुनने के उपरांत निष्कर्ष है कि अपीलांटस द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा प्रस्तुत करते हुए प्रश्नगत वादग्रस्त भूमि जो डूंगरराम के नाम दर्ज है, को पैतृक होने का कथन करते हुए पैतृक भूमि जन्म से हक हिस्सा होने के आधार पर घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा तथा खाता विभाजन का अनुतोष चाहा गया। जिस पर रेस्पो. सं. 10, 11 ने आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि की रजिस्टर्ड वसीयत डूंगरराम द्वारा दिनांक 26.07.2013 को रेस्पो0 सं. 10, 11 के पक्ष मे निष्पादित होने का कथन करते हुए वादग्रस्त भूमि अपीलांटस का कोई हक व हिस्सा नही होने का कथन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार करते हुए दावा अपीलांटस खारिज किया गया। जबकि वाद मे आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी प्रस्तुत होने से पूर्व ही प्रतिवादी सं. 1 ता 10 द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत किया जा चुका था जिसमे प्रतिवादीगण द्वारा किसी वसीयत होने संबंधी तथ्य का अंकन नही किया गया है, मात्र यह अंकित किया है कि ''वादग्रस्त भूमि डूंगरराम की पैतृक ना होकर खुद की पैदाकरदा भूमि है जिसमे वादीगण

Web Copy - Not Official

का कोई हक हिस्सा नही होने का कथन किया गया।'' अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावा मे वादपत्र एवं जवाबदावा के आधार पर विवाधक विरचित करते हुए विरचित विवाधको पर पूर्ण साक्ष्य लेकर विवाधकवार विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए था। जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के आधार पर बिना कोई विवेचन किये दावा खारिज कर दिया गया जो विधिपूर्ण नही होने से पुष्टि की जाकर यथावत रखा जाना न्यायसंगत नही है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

7. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 15.03.2017 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए वाद प्रस्तुत जवाबदावा व दावा के आधार वादग्रस्त भूमि पैतृक या स्वअर्जित होने के संबंध मे तनकी विरचित करते हुए विरचित तनकीयात पर पूर्ण साक्ष्य लेकर प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर करते हुए पुनः नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति से सहित लौटाई जावें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय मे दिनांक 27.08.2018 को उपस्थित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 27.07.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(हरभान मीणा) आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ